

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 506/2024

अनवान : -

1. रामप्रताप पुत्र रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम्

1. कृष्ण कुमार पुत्र रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. पालाराम पुत्र रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. मंगत सिंह उर्फ मंगल सिंह पुत्र रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
5. घेरूराम पुत्र रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
6. बजरंग पुत्र रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
7. सन्तोष पत्नी गोपीराम पुत्र रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
8. कृष्णा पुत्री रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
9. गुड्डी पुत्री रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
10. रामदेई पुत्री रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0  
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 18/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्बत 2073-2076 के खाता संख्या 73/69 के कुल खसरे 53 की कुल तादादी 10.9800 है0 भूमि व रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्बत 2073-2076 के खाता संख्या 75/74 के कुल खसरे 25 का कुल क्षेत्रफल 4.5540 है0 भूमि एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्बत 2073-2076 के खाता संख्या 189/181 के कुल खसरे 4 कुल तादादी 7.5620 है0 भूमि वादी व प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 8 ता 10 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा उपरोक्त भूमि मे अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाई वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में परित्याग कर दिया है एवं प्रतिवादी संख्या 5 जो कि वादी का भाई है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं चाहता है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाई वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 6 के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार से उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 व प्रतिवादीया संख्या 8

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

ता 10 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 73/69 के कुल खसरे 53 की कुल तादादी 10.9800 है० भूमि व रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 75/74 के कुल खसरे 25 का कुल क्षेत्रफल 4.5540 है० भूमि व रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 189/181 के कुल खसरे 4 कुल तादादी 7.5620 है० भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ब० हि० ब० काबिज है तथा तथा उपरोक्त तीनों खातों में प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 6 ब० हि० ब० काबिज है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी सं० 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 10 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 11 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 8 ता 10 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा उपरोक्त भूमि मे अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाई वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में परित्याग कर दिया है एवं प्रतिवादी संख्या 5 जो कि वादी का भाई है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाई वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 6 के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार से उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 व प्रतिवादीया संख्या 8 ता 10 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 73/69 के

अपेक्षित अधिकारी  
नोहर

कुल खसरे 53 की कुल तादादी 10.9800 है0 भूमि व रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 75/74 के कुल खसरे 25 का कुल क्षेत्रफल 4.5540 है0 भूमि व रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 189/181 के कुल खसरे 4 कुल तादादी 7.5620 है0 भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा उपरोक्त तीनों खातों में प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 6 ब0 हि0 ब0 काबिज है वादी के वाद को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 73/69 के कुल खसरे 53 की कुल तादादी 10.9800 है0 भूमि व रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 75/74 के कुल खसरे 25 का कुल क्षेत्रफल 4.5540 है0 भूमि एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 189/181 के कुल खसरे 4 कुल तादादी 7.5620 है0 भूमि वादी व प्रतिवादीगण की मुशतरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि प्रतिवादीया संख्या 8 ता 10 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा उपरोक्त भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाई वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में परित्याग कर दिया है एवं प्रतिवादी संख्या 5 जो कि वादी का भाई है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाई वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 6 के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार से उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 व प्रतिवादीया संख्या 8 ता 10 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 73/69 के कुल खसरे 53 की कुल तादादी 10.9800 है0 भूमि व रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 75/74 के कुल खसरे 25 का कुल क्षेत्रफल 4.5540 है0 भूमि व रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 189/181 के कुल खसरे 4 कुल तादादी 7.5620 है0 भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ब0 हि0 ब0 काबिज है वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को कोई ऐतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि

उपस्थित अधिकारी  
नोहर

रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 73/69 के कुल खसरे 53 की कुल तादादी 10.9800 है० भूमि व रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 75/74 के कुल खसरे 25 का कुल क्षेत्रफल 4.5540 है० भूमि व रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 189/181 के कुल खसरे 4 कुल तादादी 7.5620 है० में प्रतिवादीया संख्या 8 ता 10 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के ब० हि० ब० पहले से दर्ज हिस्सा में सामिल किया जाकर खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त तीनो खातों की भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 6 के ब० हि० ब० पहले से दर्ज हिस्सा में सामिल किया खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/6/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 506/2024

अनवान : -

1. रामप्रताप पुत्र रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम्

1. कृष्ण कुमार पुत्र रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
2. पालाराम पुत्र रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
3. मंगत सिंह उर्फ मंगल सिंह पुत्र रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
5. घेरूराम पुत्र रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
6. बजरंग पुत्र रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
7. सन्तोष पत्नी गोपीराम पुत्र रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
8. कृष्णा पुत्री रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
9. गुड्डी पुत्री रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
10. रामदेई पुत्री रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 506 सन 2024 निर्णय दिनांक - 18/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 73/69 के कुल खसरे 53 की कुल तादादी 10.9800 है0 भूमि व रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 75/74 के कुल खसरे 25 का कुल क्षेत्रफल 4.5540 है0 भूमि व रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 189/181 के कुल खसरे 4 कुल तादादी 7.5620 है0 में प्रतिवादीया संख्या 8 ता 10 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के ब0 हि0 ब0 पहले से दर्ज हिस्सा में सामिल किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त तीनों खातों की भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 6 के ब0 हि0 ब0 पहले से दर्ज हिस्सा में सामिल किया खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/06/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर